

## कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर - 321001 (राज.)

फोन : 05644-226017, 227518 ई-मेल : [ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसंभ/2021-22/2588  
निमित्त,

दिनांक

19.5.2022

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए),  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 248.5515 ha. Of forest Land in favour of DMG, Rajasthan in Paharpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. (FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज. जयपुर का ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 04.05.2022 व उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 3030 दिनांक 06.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में आपके संदर्भित ई.डी.एस. दिनांक 04.05.2022 से प्राप्त आक्षेपों की उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से निम्नानुसार पूर्ति कर प्रस्ताव ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-

S.No.	Stipulated EDS	Compliance
1.	CA scheme Should be given for amount 688.67 lacs as proposed. Amount of forest protection wall should be taken as additional expenditure. it is not part of CA	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि सी.ए. की राशि केवल 688.67 लाख रु. ही है। शेष 262.00 लाख रु. की राशि सुरक्षा दीवार के रूप में अतिरिक्त सी.ए. राशि है। कुल राशि दोनों को जोड़कर 950.67 लाख रु. है।
2.	Mining Plan is not Uploaded	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि उक्त आक्षेप की पालना में माईनिंग प्लान यूजर एजेन्सी द्वारा परिवेश पोर्टल पर पार्ट-1 में पुनः अपलोड कर दिया गया है। साथ ही उक्त माईनिंग प्लान की हार्ड प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 2172 दिनांक 27.04.2022 से श्रीमान को प्रेषित की जा चुकी है।
3	The kml of safety zone indicating the area proposed for safety zone has not been submitted, which is required to be	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि यूजर

done. Should be inside the forest land proposed for diversion	एजेन्सी द्वारा उक्त बिन्दु की पालना में के.एम.एल. फाईल पुनः अपलोड कर दी गयी है। सेफ्टी जोन की के.एम.एल. को श्यान रंग ( ) से मार्क कर दिया गया है। उक्त आवेदित प्रत्यावर्तित क्षेत्र में यूजर एजेन्सी द्वारा खनन पट्टों के लिये पृथक से माईनिंग प्लान का अनुमोदन किया जावेगा जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर ग्रीन बेल्ट के लिये सेफ्टी जोन रहेगा।
---	--

अतः उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरांत प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु ऑनलाईन प्रेषित है।

भवदीय

—  
( डॉ. सी. आर. मीणा )  
वन संरक्षक (एम.एण्ड.ई.)  
भरतपुर